


फर्द अहकाम




(नियम 26)

अदालत सहायक न्यायाधीश लक्ष्मी सिंघ
दलपत सिंह बनाम शैलान सिंह
सुकदमा नं. 131 सन् 5/22


तारीख हुक्म _____ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज _____ नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए _____


2/3
बना हुआ / ...
प्रतिपक्षी ...
बोर्डिंग ...
को वेक ...
22/5/22

अधिकारी शैलान

12/3/22 फतावली आज लोका अदालत में पेशा हुई। श्राम नेवरा के खान न. 1655/3 रकबा 0.0850 है प्राची के कब्जे काबत में आधी हुई व खान न. 1655 अप्राची के कब्जे काबत में आधी हुई है। श्राम हेतु तरमीम डुरस्ती का प्रार्थना पत्र अर्जानि धारा 131, 136 प्रस्तुत की जिस पर अप्राची अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने तरमीम डुरस्ती में सहमति जाहिर की व तहसीलदार ओसिया से तरमीम डुरस्ती करने की अनुशंसा की। फतावली का अवलोकन व मनन किया। प्राची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान रजिस्टर रिकॉर्ड के देस नक्शे में जहां प्राची के खान न. की श्रामि 1655/4 के स्थान पर अप्राची के नाम तरमीम की जावे व खान न. 1655/3 के स्थान पर प्राची के नाम तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार ओसिया को लहरीर जारी हो। फतावली फौसल शुमार एवेर नम्बर से कम होकर दाखिल 4415 है।


(प्राची)

12/3/22
(अप्राची)

12/3/22
रजिस्टर




अध्यक्ष
शहाई लोका अदालत
ओसिया


सहायक न्यायाधीश लोका अदालत
ओसिया